



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-11.12.2025

विषय:- “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना शिवपुर मे पंजीकृत अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 का अर्थदण्ड।

थाना शिवपुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-0318/2013 धारा 363, 366, 376, 120-B भा0द0वि0 व धारा 4/17 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01- दिनेश सोनकर पुत्र छांगुर सोनकर निवासी ब्लॉक नं0-83, म0नं0-03 काशीराम आवास थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक शिवपुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक-11.12.2025 को माननीय न्यायालय A/C मेन / विशेष न्यायालय पॉक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त दिनेश सोनकर उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 376 भा0द0वि0 के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 01 माह का अतिरिक्त कारावास भोगेगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।